न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 97 / 2024

<u>उनवान</u>

1. श्रीमती धनु देवी पत्नि सागरमल जैन जाति जैन उम्र वयस्क निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) ।
2. श्रीपाल पिता हिरालाल दोसी जाति जैन निवासी सरेडी बडी उम्र वयस्क निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रार्थीगण।

बनाम

1. जितेन्द्रसिंह पिता किशोरसिंह चौहान जाति राजपुत निवासी खेडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) ।
2. तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: अप्रार्थीगण।

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 10.6.2025

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 3248 / 5311 रकबा 0.41 हेक्टर व 5498 / 3248 रकबा 0.41 हेक्टर कुल रकबा 0.82 हेक्टर भूमि वाके गांव खेडा तहसील गढी जिला बासंवाडा (राज.) मे स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा खरीदशुदा उक्त भूमि के ऑफलाईन नक्शे मे दोनो सर्वे नम्बरान की भूमि का पास पास अंकित किया गया है जो सही है परन्तु राजस्व कर्मचारियो की त्रुटीवश प्रार्थीगण की उक्त दोनो सर्वे नम्बरान की भूमि आराजी सर्वे नम्बर 3248 / 5311 रकबा 0.41 हेक्टर व 5498 / 3248 रकबा 0.41 हेक्टर की भूमि के मध्य मे सर्वे नम्बर 5449 / 3248 को दर्शाया गया है। जबकि उक्त सर्वे नम्बर की भूमि प्रार्थीगण के उक्त दोनो सर्वे नम्बरान की भूमि के पिछे की तरफ स्थित है । प्रार्थीगण का कब्जा नक्षे लट्ठे में दर्ज अनुसार मौके पर मौजूद है। परन्तु राजस्व कर्मचारियो की त्रुटीवश ऑनलाईन नक्षे में गलती की गई है। जिसे दुरस्त करना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने कई बार राजस्व कर्मचारियो से निवेदन किया परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऑनलाईन नक्षे मे उक्त त्रुटी की शुद्धी नही करने से प्रार्थीगण को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है उक्त राजस्व त्रुटी को दुरस्त कर नक्षे लट्ठे अनुसार ऑनलाईन नक्षे मे अंकित किये जाने बाबत् प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 3248 / 5311 रकबा 0.41 हैक्टेयर व

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

आराजी सर्वे नम्बर 5498/3248 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल रकबा 0.82 हैक्टेयर, वाके ग्राम खेडा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा में स्थित होने के संबंध में प्रार्थीगण स्वयं इसे ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे । प्रार्थीगण उपरोक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि के पेरेन्टल खातेदार नही है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि को विक्रेतागण से मात्र कागजों में क्रय की है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि कहाँ पर स्थित है इसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही है। जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व व आधिपत्य की खसरा संख्या 5449/3248 रकबा 0.07 हैक्टेयर को अपना होना बताकर उस पर अवैध आधिपत्य स्थापित करना चाहते है। जिस हेतु अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी सं. 1 श्रीमती धनुदेवी व उसके पति सागरमल पिता अमृतलाल जैन के विरुद्ध आप माननीय न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 12.11.2024 को प्रस्तुत किया गया है। जो वर्तमान में विचाराधिन है। प्रार्थीगण द्वारा बताई गई अपने स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 3248/5311 रकबा 0.41 हैक्टेयर व अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व व आधिपत्य की खसरा संख्या 5449/3248 रकबा 0.07 हैक्टेयर, वाके राजस्व ग्राम खेडा, पटवार हल्का खेडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेडा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा राजस्थान की कृषि भूमि राजस्व नक्शे में एक-दुसरे से लगती हुई होकर दोनों का मूल खसरा नम्बर 3248 होकर बांसवाड़ा – डुंगरपुर मुख्य मार्ग पर स्थित होकर लगती हुई है। अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा सं. 5449/3249 के पश्चिम दिशा में प्रार्थीगण के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा सं. 3248/5311. स्थित है। अप्रार्थी सं. 1 जितेन्द्र सिंह ने अपने स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा सं. 5449/3248 रकबा 0.0700 हैक्टेयर को मूल खातेदार अपने बडे भाई करण सिंह पुत्र किशोर सिंह राजपूत निवासी खेडा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा से रजिस्टर्ड बक्शीशनामा लेख पत्र संख्या 202203368100857, दिनांक 11.03.2022 को क्रय की है तथा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित बक्शीशनामा दिनांक 11.03.2022 में दान की गई कृषि भूमि बांसवाड़ा – डुंगरपुर मुख्य डामर सडक के पास स्थित होने का उल्लेख किया गया है। उससे पूर्व से अप्रार्थी सं. 1 अपने स्वामित्व की कृषि भूमि पर पैतृक कब्जा-काश्त होकर कमा रहा है। सेटलमेन्टी राजस्व नक्शे व ऑनलाईन नक्शे में अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व का खसरा नं. 5449/3248 बांसवाड़ा- डुंगरपुर मुख्य मार्ग से लगता हुआ अंकित किया गया है तथा उक्त अनुसार ही अप्रार्थी सं 1 अपने स्वामित्व के खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त होकर कमा रहा है तथा आज भी अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व की खसरा [illegible] कृषि भूमि खसरा नं. 5449/3248 पर अप्रार्थी सं. 1 का ही कब्जा व स्वामित्व [illegible] है। [illegible] द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में बताई गई कृषि भूमि कहाँ पर स्थित है [illegible] जानकारी प्रार्थीगण को नही है, जिस कारण प्रार्थीगण अनुचित व अवैध तरीके से [illegible]र्थी सं. 1 की कृषि भूमि पर अवैध आधिपत्य स्थापित करने हेतु अप्रार्थी सं. 1 को बांसवाड़ा – डुंगरपुर मुख्य मार्ग से पीछे खिसका देना चाहते है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व की कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

खसरा सं. 5449/3248 रकबा 0.0700 है. की तरमीम मौका अनुसार सही ढंग से की गई है तथा उस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त मौजुद है। प्रार्थीगण पुनः राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत तरमीम कर अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि पर जबरन आधिपत्य करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों पर अवैध व अनुचित दबाव डालकर अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व की कृषि भूमि में अपने स्वामित्व की कृषि भूमि का अवैध अंकन व तरमीम करवाना चाहते है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा अवैध अंकन हेतु प्रार्थीगण को मना करने पर प्रार्थीगण ने अवैध व अनुचित तरिके से आप माननीय न्यायालय में यह झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार व तथ्यों का होने के कारण खारीज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा जवाब पेश कर अवगत कराया कि प्रार्थीया धनु देवी पत्नि सागरमल जैन के ग्राम खेड़ा के आराजी न. 3248/5311 रकबा 0.41 है. हाल खातेदार धनु देवी पत्नि सागरमल जैन दर्ज रेकार्ड है व प्रार्थी श्रीपाल पुत्र हीरालाल जैन के ग्राम खेड़ा में आराजी नम्बर 5498/3248 रकबा 0.41 हे, हाल खातेदार श्रीपाल पुत्र हीरालाल जैन दर्ज रेकार्ड है। अप्रार्थीगण का आराजी न. 5449/3248 रकबा 0.07 हे. हाल खातेदार जितेन्द्र सिंह पिता किशोर सिंह चौहान निवासी खेड़ा दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी धनु देवी पत्नि सागरमल जैन का ग्राम खेड़ा पटवारी हल्का खेड़ा में आराजी नम्बर 3248/5311 रकबा 0.41 हे. जो हाल राजस्व लट्ठे नक्शे के अनुसार पूर्वी भाग में तरमीम की हुई है व ऑनलाइन भू–नक्शा में तरमीम गलत दर्शाई गई है। प्रार्थी राजस्व लट्ठे नक्शे अनुसार मौके पर काबिज है। प्रार्थी श्रीपाल पुत्र हीरालाल जैन के राजस्व ग्राम खेड़ा पटवार हल्का खेड़ा के आराजी नम्बर 5498/3248 रकबा 0.41 हे. कि तरमीम राजस्व लट्ठे अनुसार पश्चिम भाग में तरमीम की हुई है व ऑनलाइन भू–नक्शा में तरमीम गलत दर्शाई गई है। प्रार्थी राजस्व लट्ठे नक्शे अनुसार मौके पर काबिज है । अप्रार्थी जितेन्द्र सिंह पिता किशोरसिंह निवासी खेड़ा के आराजी नम्बर 5449/3248 रकबा 0.07 हे. कि तरमीम राजस्व लट्ठे नक्शे अनुसार प्रार्थी धनुदेवी व श्रीपाल जैन के दक्षिण में स्थित है जो कि ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम लठ्ठे नक्शे अनुसार नहीं दर्शाई गई है। ऑनलाईन भू–नक्शा में प्रार्थी अपनी राजस्व लट्ठे नक्शे कि तरमीम के अनुसार सही नहीं होना बताते हुए रिपोर्ट मय हाल लट्ठा नक्शा ट्रेस, जमाबंदी नकल, फोटोग्राफ व मौका पर्चा संलग्न कर पेश हुआ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व संलग्न दस्तावेजो तथा अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब व भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह साबित होता है कि [illegible] ग्रस्त भूमि की मूल नक्षा ट्रेस में तरमीम की गई है जिसके अनुरूप ऑनलाइन भू–नक्शे में तरमीम नहीं की गई है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया है जिससे यह साबित हो कि ऑनलाईन भू–नक्षे में की गई तरमीम सही हो। तहसीलदार, गढ़ी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह बताया हैं कि वाद ग्रस्त भूमि की ऑनलाईन भू–नक्षे में तरमीम मूल नक्षा लट्ठा के अनुरूप नहीं की गई है। जबकि प्रार्थी मूल लट्ठा नक्शा के अनुरूप अपने हिस्से की भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला बांसवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

काबिज है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादग्रस्त भूमि आराजी सर्वे नम्बर 3248/5311 रकबा 0.41 हेक्टर व 5498/3248 रकबा 0.41 हेक्टर कुल रकबा 0.82 हेक्टर एवं सर्वे नम्बर 5449/3248 रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि की मूल लट्ठा नक्शा अनुरूप ऑनलाईन भू–नक्शे में तरमीम दुरस्त किये जाने आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, गढ़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.6.2025 को जारी किया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner